बाघ के हमले में महिला की मौत

बहरई वन परिक्षेत्र अंतर्गत पांडरवानी बीट का मामला

बरघाट, 03 मार्च. वन विभाग के बहरई वन परिक्षेत्र अंतर्गत पांडरवानी बीट में एक महिला की वन्य प्राणी के हमले में दर्दनाक मौत हो जाने से पूरे क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल व्याप्त है. प्रारंभिक तौर पर बाघ के हमले की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

- **क्षेत्र में दहशत का माहौल**
- **वन विभाग ने शुरू की जांच**

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पांडरवानी, तहसील बरघाट निवासी अनीता बाई (पति रूपकुमार चौधरी) प्रतिदिन की तरह गांव से लगे जंगल क्षेत्र में महुआ बिनने के लिए गई थीं. महुआ संग्रहण इस क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है और बड़ी संख्या में महिलाएं एवं किसान सुबह के समय जंगल की ओर जाते हैं. बताया जा रहा है कि घटना स्थल ग्राम से लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित है. जब काफी देर तक अनीता बाई घर नहीं लौटीं तो परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान जंगल में उनका क्षत-विक्षत शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर बाघ के हमले की आशंका जताई है. बहरई वन परिक्षेत्र के परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी रवि गेडाम ने बताया कि मौके का पंचनामा तैयार कर लिया गया है तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि हमला किस वन्य प्राणी द्वारा किया गया.

वन अधिकारियों के अनुसार यदि यह बाघ का हमला सिद्ध होता है तो शासन की ओर से निर्धारित आर्थिक सहायता राशि पीड़ित परिवार को नियमानुसार प्रदान की जाएगी. वर्तमान में वन विभाग की टीम क्षेत्र में सतत निगरानी बनाए हुए है और संभावित वन्य प्राणी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि आसपास के गांवों में गश्त बढ़ा दी गई है तथा ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस नेता राहुल उइके भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और प्रशासन से मांग की कि पीड़ित परिवार को शीघ्र एवं उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत दुखद और पीड़ादायक हैं तथा प्रशासन को मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस रणनीति बनानी चाहिए.

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में वन्य प्राणियों की गतिविधि में वृद्धि देखी जा रही है. खेतों में काम करने और जंगल जाने वाले लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है. कई ग्रामीणों ने आशंका जताई कि यदि समय रहते सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में और भी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग द्वारा नियमित गश्त, चेतावनी बोर्ड की स्थापना, रात्रिकालीन निगरानी तथा आवश्यकतानुसार विशेष टीम की तैनाती की जाए. यह घटना ग्राम पांडरवानी ही नहीं बल्कि पूरे बरघाट क्षेत्र के लिए अत्यंत हृदयविदारक है. अनीता बाई एक मेहनतकश महिला थीं और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सहयोग करती थीं. उनके असामयिक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव में शोक का माहौल है और अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. विशेषज्ञों का मानना है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं उन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती हैं जहां वन क्षेत्र गांवों के नजदीक है और आजीविका के लिए ग्रामीणों को जंगल पर निर्भर रहना पड़ता है. ऐसे में सामुदायिक जागरूकता, समयबद्ध सूचना प्रणाली और त्वरित मुआवजा वितरण जैसी व्यवस्थाएं अत्यंत आवश्यक हैं. वन विभाग ने आश्वासन दिया है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होते ही स्पष्ट जानकारी साझा की जाएगी तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अकेले जंगल न जाएं और किसी भी संदिग्ध वन्य प्राणी की गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें. फिलहाल, पूरे क्षेत्र में भय और शोक का वातावरण है तथा सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

सिंगरौली में 113 लीटर अवैध शराब और बाइक की जब्त

आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज

- **दो अलग-अलग प्रकरणों में की गई कार्रवाई**

सिंगरौली, 03 मार्च. अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरगवां पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों में कुल 112.715 लीटर अवैध शराब एवं एक मोटर साइकिल जब्त की है. दोनों मामलों में आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पहली कार्रवाई 2 मार्च को की गई. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटर साइकिल से अवैध शराब लेकर जा रहा है. सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर एक हीरो पैशन एक्सप्रो मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 66 एमसी 9964 को रोककर तलाशी ली. तलाशी में अंग्रेजी व देसी शराब सहित कुल 75 लीटर शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 27,484 रुपये बताई गई है. जब्त मोटर साइकिल की कीमत लगभग 60 हजार रुपये आंकी गई है. इस मामले में सीताराम साहू उम्र 25 वर्ष निवासी चिनगी पतेरी तथा महेंद्र सिंह उम्र 46 वर्ष निवासी दरुहा, जिला पलामू (झारखंड) हाल मुकाम गोरबी शराब भट्टी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 127/2026 धारा 34(2), 42 आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है. वहीं दूसरी कार्रवाई बरगवां पुलिस द्वारा 3 मार्च को की गई. ग्राम पचौर में एक किराना दुकान पर अवैध शराब बिक्री की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी. मौके से विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी व देसी शराब कुल 37.715 लीटर, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3400 रुपये है, जब्त की गई. इस मामले में मनोज साहू उम्र 19 वर्ष निवासी पचौर थाना बरगवां के विरुद्ध अपराध क्रमांक 128/2026 धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. सम्पूर्ण कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत व उपमहानिरीक्षक हेमंत सिंह चौहान व पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रीत सिन्हा व अनुविभागीय अधिकारी गौरव पांडे के मार्गदर्शन में बरगवां निरीक्षक मोहम्मद समीर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई. पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है. उक्त कार्रवाई में निरीक्षक मोहम्मद समीर के साथ सहायक उपनिरीक्षक श्याम बिहारी द्विवेदी, वीरेंद्र त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक अनूप मिश्रा, नंदकिशोर बागरी, फूल सिंह, संजय यादव, आरक्षक चंद्रकेश यादव व ऑरिश गुर्जर की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

गोवा में मिला अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी

कर्नाटक के गुंजी से दस्तयाब हुई थी बालिका

नवभारत न्यूज

सतना, 03 मार्च. नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार कर लिया.

- **पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की**
- **29 जनवरी को हुई थी शिकायत**

कोठी थाना प्रभारी संतोष तिवारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी पिता द्वारा 29 जनवरी को अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की शिकायत करी गई थी. पिता ने पुलिस को बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है. पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई तो इस बात की जानकारी सामने आई कि बालिका कर्नाटक के गुंजी क्षेत्र में है. लिहाजा पुलिस टीम ने दबिश देते हुए बालिका को दस्तयाब कर लिया. बालिका के बयान लिए जाने पर यह जानकारी सामने आई कि ग्राम बरेठिया नागौद निवासी अंकुल रजक उर्फ दीपांशु पिता झूलेलाल उम्र 19 वर्ष उसे अपने साथ भगा ले गया था. जहां पर उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश शुरु की गई. लोकेशन मिलते ही पुलिस टीम ने आरोपी युवक को गोवा से गिरफ्तार कर लिया.

कार की डिग्गी में मिली 35 हजार की शराब

सतना संदिग्ध कार को रोककर जांच किए जाने पर उसकी डिग्गी में 35 हजार रु की अवैध शराब रखी पाई गई, जिसे देखते हुए पुलिस ने कार सवार 3 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर दी. कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शहर की नजीराबाद रोड पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी. इसी दौरान एक सफेद रंग की कार दिखाई देते ही उसे जांच के लिए रोका गया. पूछताछ करने पर कार में सवार तीनों व्यक्तियों की पहचान नीरज पाठक पिता रामश्रय निवासी गढ़ी टोला उचेहरा, पवन शुक्ला पिता राजेंद्र निवासी शुक्लान मोहल्ला उचेहरा और उमेश यादव पिता मुन्ना निवासी गढ़ी टोला उचेहरा के तौर पर हुई. इसी कड़ी में जब पुलिस टीम ने कार की तलाशी लेते हुए डिग्गी को खुलवाया तो उसमें 7 कार्टून रखे मिले. जिन्हें खोलकर देखने पर कुल 350 पाव पाव अंग्रेजी शराब पाई गई. जिसकी कीमत 35 हजार रु आंकी गई. अवैध शराब की तस्करी करते पाए जाने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में 'सिस्टम' से खेल, 12 पर केस

- **रतलाम पब्लिक स्कूल जांच के घेरे में**

नवभारत न्यूज

रतलाम। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा-2024 में बड़े गड़बड़झाले का खुलासा हुआ है। सिस्टम से कथित छेड़छाड़ और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं की आशंका के चलते अब पूरे मामले की गंभीर जांच की जा रही है।

मामले में रतलाम परीक्षा केंद्र से परीक्षा में शामिल हुए 12 अभ्यर्थियों के खिलाफ मंडल ने एफआईआर दर्ज कराई है। सभी अभ्यर्थी रतलाम स्थित रतलाम पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। उल्लेखनीय है कि इस विद्यालय को पहली बार परीक्षा केंद्र बनाया गया था। तकनीकी जांच में पाया गया कि संबंधित अभ्यर्थियों ने दो घंटे की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अत्यंत असामान्य गति से प्रश्न हल किए। कुछ अभ्यर्थियों ने मात्र 15 से 30 मिनट के भीतर ही 100 प्रश्नों के उत्तर दर्ज कर दिए। इसके बाद शेष समय वे निष्क्रिय बैठे रहे। परीक्षा लॉग में सामान्य स्क्रीन मूवमेंट, प्रश्नों के बीच नेविगेशन या रफ वर्क के संकेत भी नहीं मिले, जिससे संदेह गहरा गया।

मंडल ने 5 फरवरी को परिणाम घोषित करने से पहले उच्च पर्सेंटाइल प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का विशेष तकनीकी विश्लेषण कराया। जांच में सामने आया कि जिन 12 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में 90 से अधिक अंक प्राप्त कर 100 पर्सेंटाइल हासिल किया, वे पूर्व में पुलिस भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में 50 से कम अंक प्राप्त कर चुके थे। अचानक आए इस बड़े अंतर ने अधिकारियों को जांच के लिए प्रेरित किया।

जांच में यह आया सामने...

जांच में सामने आया कि जिन 12 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में 90 से अधिक अंक प्राप्त कर 100 पर्सेंटाइल हासिल किया, वे पूर्व में पुलिस भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में 50 से कम अंक प्राप्त कर चुके थे। अचानक आए इस बड़े अंतर ने अधिकारियों को जांच के लिए प्रेरित किया।

11 शहरों में हुई थी परीक्षा

आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 9 से 21 सितंबर 2025 के बीच भोपाल, इंदौर, रतलाम सहित प्रदेश के 11 शहरों में आयोजित की गई थी। कुल 2,40,010 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 1,10,0×2 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परिणाम 5 फरवरी को घोषित किए गए थे। मंडल के प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट की लिखित शिकायत के आधार पर तकनीकी अनियमितताओं की पुष्टि की गई। एमपी नगर थाना में शून्य पर जालसाजी का प्रकरण दर्ज किया। घटना स्थल रतलाम होने के कारण केस डायरी को रतलाम के संबंधित थाने में स्थानांतरित कर दी। पुलिस ने 12 अभ्यर्थियों सहित अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को आरोपी बनाते हुए मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

एक नजर में

दबोह हत्याकांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार

दबोह (भिंड). बीते दिनों नगर के बीचों बीच हुई मुकेश कुरचानिया की हत्या के दूसरे आरोपी को दबोह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस हत्याकांड में दो लोगो को आरोपी बनाया गया था. एक आरोपी को दबोह पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस के अनुसार जांच में इस आरोपी का नाम भी सामने आया था जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी को नाबालिक होने की वजह से उसे मुरैना बाल गृह भेजा गया है. फिलहाल पुलिस विवेचना में जुटी हुई है.

युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन स्पर्धा 8 को

रतलाम। अधीक्षक डाक घर राजेश कुमावत ने बताया कि भारतीय डाक विभाग द्वारा युवाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता- 2026 के तहत 8 मार्च को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक रतलाम प्रधान डाकघर सैलाना बस स्टैण्ड पर पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय 'डिजिटल दुनिया में मानवीय संबंध क्यों जरूरी है, इस बारे में अपने दोस्त को एक पत्र लिखें।' प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी की आयु 9 से 15 वर्ष तक होना चाहिए। इस हेतु प्रतिभागी की आयु प्रमाणिकता जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड अथवा विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र से की जाएगी। प्रतिभागी द्वारा रचना को पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा। पत्र को अंग्रेजी अथवा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा में लिखा जा सकता है। पत्र स्व हस्तलिखित अधिकतम शब्द सीमा 800 शब्द में लिखा होना चाहिए। प्रतिभागी द्वारा आवेदन के साथ तीन पासपोर्ट आकार के फोटो लगाना आवश्यक है। परिमंडल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 25,000 रुपये, द्वितीय को 10,000 रुपये और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिता के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक अधीक्षक डाकघर मुख्यालय, पी आर मीना से मोबाइल नंबर 9024470229 पर संपर्क किया जा सकता है।

होली पर्व पर रतलाम मंडल से होकर बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें संचालित

रतलाम। होली पर्व के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से होकर वर्तमान में अनेक होली स्पेशल ट्रेनें संचालित हो रही हैं। इन ट्रेनों के संचालन से मध्यप्रदेश एवं गुजरात क्षेत्र के यात्रियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड एवं राजस्थान सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए यात्रा में विशेष सुविधा मिल रही है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रतलाम मंडल से होकर स्पेशल ट्रेनें निम्नानुसार संचालित हो रहे हैं। इनमें बांद्रा टर्मिनस - वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल। बांद्रा टर्मिनस - सूबेदारगंज सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल। असारवा - आगरा कैंट स्पेशल। डॉ. अंबेडकर नगर - पटना साप्ताहिक स्पेशलद्ध मुंबई सेंट्रल - बनारस साप्ताहिक स्पेशल / एसी स्पेशल। मुंबई सेंट्रल - कटिहार साप्ताहिक स्पेशल। वडोदरा - गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल। वडोदरा - मऊ साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल। वडोदरा - खातीपुरा स्पेशल। दादर - नई दिल्ली स्पेशल। वलसाड - मऊ स्पेशल। इंदौर - हजरत निजामुद्दीन द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल। इंदौर - मुंबई सेंट्रल स्पेशल। मुंबई सेंट्रल - काठगोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल। मुंबई सेंट्रल - कानपुर अनवरगंज साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल। उधना - रक्सौल साप्ताहिक विशेष।

तोड़फोड़ के मामले में जांच की मांग

शिवपुरी, 03 मार्च. देहात थाना क्षेत्र में कार में हुई तोड़फोड़ का मामला गरमा गया है. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आर.के. पुरम निवासी दो छात्रों की माताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने बेटों के खिलाफ दर्ज मामले में निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है.

- **छात्रों की मांओं ने लगाई गुहार**

माताओं का आरोप है कि बजरंग दल नेता की कार में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने राजनीतिक प्रभाव के चलते एकतरफा कार्रवाई करते हुए उनके बेटों पर कठोर धाराओं में केस दर्ज किया है. माताओं ने एसपी कार्यालय में बताया कि उनके बेटे दिव्यम सैनी (बी.ए. प्रथम वर्ष का छात्र) और आशुतोष लोधी (इंजीनियरिंग छात्र) घटना की रात एक साथ थे.

उन दोनों पर बजरंग दल के विभाग संयोजक उपेंद्र यादव की कार में तोड़फोड़ करने का गंभीर आरोप लगाया गया है. आरोपी छात्रों की माताओं का सीधा आरोप है कि इस मामले में राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की है और बहुत ही कठोर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दिया है. उनका यह भी कहना है कि पुलिस ने घटना की पूरी और निष्पक्ष जांच किए बिना ही दोनों युवा छात्रों को आनन-फानन में हिरासत में ले लिया और उनके परिवार का पक्ष ठीक से सुना ही नहीं गया.

एक ही जगह दो बार भड़की आग

जबलपुर, 03 मार्च. झंडा चौक ग्वारीघाट से कुछ दूरी पर स्थित जगह एक ही दिन में दो बार आग भड़कने से हड़कंप मच गया. लिहाजा सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर अमले ने आग पर काबू पा लिया.

इस दौरान फायर अमला इस बात से हैरान था कि झंडा चौक ग्वारीघाट से कुछ दूरी पर जमे कचरे के ढेर पर सुबह साढे आठ बजे लगी आग को बुझा दिया गया था तो फिर दोपहर को दोबारा वहीं जगह पर आग कचरे में कैसे लग गई. अब आग लगी कि ल गाई गई ये सवाल अब भी बरकरार है. फायर ब्रिगेड कर्मी संजय पटैल ने नवभारत को बताया कि मंगलवार को सुबह करीब साढ़े आठ बजे झंडा चौक ग्वारीघाट से चंद दूरी पर लगे कचरे के ढेर में आग लगने की सूचना मिली थी जिसके बाद फायद ब्रिगेड के एक वाहन के जरिए आग पर काबू पा लिया गया था.

फिर दोबारा मंगलवार दोपहर करीब 3 बजकर 10 मिनिट पर सूचना मिली कि इसी जगह फिर से कचरे के ढेर में आग भड़क उठी जिसके बाद मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया. फायर कर्मियों की माने तो स्थानीय किसी तत्व द्वारा कचरे के ढेर पर आग लगाई गई है.

महापर्व होली आज | **होली पर हुड़दंगियों पर रखी जाएगी पैनी नजर**

शहर में पुलिस पूरी तरह रहेगी मुस्तैद

ग्वालियर, 03 मार्च. रंगों के महापर्व होली के दौरान शहर में अमन-चैन और भाईचारा कायम रखने के लिए ग्वालियर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है. आज सुबह से ही पूरे जिले में सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम लागू कर दिए गए हैं.

पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि त्यौहार का आनंद लें, लेकिन कानून की सीमा में रहकर. शहर के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया है. आज सुबह से ही संवेदनशील इलाकों, प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले चौराहों पर पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पैदल भ्रमण (फ्लैग मार्च) किया गया. बिना नंबर प्लेट, तीन सवारी और नशे में वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की गहनता से तलाशी ली जा रही है.

एसएसपी ने ली अफसरों की बैठक

आज मनाई जाने वाली होली की धुलेंडी, रंगपंचमी एवं रमजान माह के दौरान जिले में कानून व्यवस्था, शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं

36 पेटी अवैध शराब जब्त, एक गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

रतलाम। जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सरवन पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सैलाना नीलम बघेल के निर्देशानुसार क्षेत्र में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध सतत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार सोमवार को मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर थाना सरवन पुलिस द्वारा ग्राम कोलपुरा में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी के मकान से कुल 36 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। मौके से आरोपी विनोद पिता नार चरपोटा, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम कोलपुरा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 34 पेटी माउंट्स ओरिजिनल सुपर बीयर (कीमत 49,920), 02 पेटी सफेद मदिरा प्लेन (कीमत 8,000) कुल 426 लीटर अवैध शराब, अनुमानित कुल कीमत 57,920 जब्त की गई।

इनकी रही सराहनीय भूमिका...

निरीक्षक अर्जुन सेमलिया, उपनिरीक्षक के.एल. रजक, प्रधान आरक्षक सूर्यपाल सिंह, आरक्षक 324 हिम्मत सिंह, आरक्षक 745 गजपाल सिंह, आरक्षक 896 विमल की सराहनीय भूमिका रही।